प्र.सं. ...../ बाबा / प्र.पत्र / .....

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

तारीख हुक्म	
20/10/25	पार्टी कमल कुमार ने जर्ज आई. प्रा० पत्र पत्रावली तलब पर राजीनामा के आधार पर प्रकरण का निर्णय वापिस किये जाने बाबत प्रा० पत्र पेश करने पर पत्रावली तलब की गई। पक्षकारान् ने उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया गया। पत्रावली वास्ते तस्दीक राजीनामा दिनांक 20/1/26 को पेश हो।
20/1/26	पत्रावली पर दुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित है। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी तख्त कार्यालय बाहर दौरे में तशरीफ रखते है। पूरा वकार्ड में व्यस्त है। अभिभाषकगण कन्डोलेन्स पर है। अतः पत्रावली तस्दीक कार्यवाही हेतु दिनांक 5/2/26 को पेश हो।
5/2/26	पत्रावली पेश हुई। बहस राजीनामा वास्ते तस्दीक सुनी गई। बहस राजीनाम पर मनन करने एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि पक्षकारान् के मध्य नीमलाल आ0 अणदा जाति मीणा के खातेदारी अधिकार की भूमि खाता सं0 111 वाके ग्राम बाजड, खाता सं0 143 वाके ग्राम बाजड, खाता सं0 142 वाके ग्राम बाजड व खाता सं0 141 वाके ग्राम बाजड की भूमि को अपने पुत्र कमल कुमार आ0 नीमलाल को 14 बीघा 14 बिस्वा भूमि एवं सत्यनारायण आ0 नीमलाल को 7 बीघा 15 बिस्वा वाके ग्राम बाजड नीमलाल के स्थान पर अपने पुत्रो के खातेदारी अधिकार में दर्ज रेकार्ड की जावे। वाद वर्णित आराजी नीमलाल के खातेदारी अधिकार की भूमि है जिस पर नीमलाल के जीवनकाल में नीमलाल का अधिकार है किसी भी खातेदार के खातेदारी अधिकारो को अपने जीवनकाल में हस्तान्तरित करने हेतु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत केवल मात्र विकयपत्र ,दानपत्र अथवा हकत्याग के माध्यम से हस्तान्तरित किया जा सकता है। किन्तु पक्षकारान् द्वारा उक्त तीनो माध्यम के द्वारा हस्तान्तरण नही कर आपसी सहमति से राजीनामा पेश कर भूमि पर खातेदारी अधिकारो को हस्तान्तरण हेतु राजीनामा पेश किया गया है जो नियमान्तर्गत नही होने से स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है। अतः पक्षकारान् द्वारा प्रस्तुत राजीनामा अस्वीकार किया जाता है। पक्षकारान् के मध्य आपस में राजीनामा हो जाने से उक्त वाद का अब कोई औचित्य प्रतीत नही होता है खातेदार स्वयं अपने खातेदारी अधिकारो को हस्तान्तरण हेतु नियमानुसार हस्तान्तरण की विधिक प्रकिया अपनाकर अपने खातेदारी अधिकारो को हस्तान्तरित करावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तामील तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।